Me Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2189] No. 2189] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2013/भाद्र 28, 1935 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2013/BHADRA 28, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2013

का.आ. 2811(अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्व्वारा श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सिंचव (यू टी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के सदस्य के रूप में नामित करती है और इस प्रयोजनार्थ, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 835(अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2012 में, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से प्रभावी, निम्नलिखित अगला संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में मद संख्या (i), तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

"(i) श्री इकबाल सिंह चहल संयुक्त सचिव (यू टी) गृह मंत्रालय, भारत सरकार

[फा. सं. 14011/48/2010-दिल्ली-II]

इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 18 जनवरी, 2011 की सं. का.आ. 101(अ), के तहत प्रकाशित हुई थी और बाद में दिनांक 24 जून, 2011 की सं. का.आ. 1453(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011 की सं. का.आ. 1628(अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2012 की सं. का.आ. 835(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2012 की सं. का.आ. 1737 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 2013 के का.आ. 2133 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 2013 की सं. का.आ. 2134 (अ) और दिनांक 25 जुलाई, 2013 की सं. का.आ. 2134 (अ) और दिनांक 25 जुलाई, 2013 की सं. का.आ. 2308 (अ) के तहत संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2013

S.O. 2811(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri Iqbal Singh Chahal, Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs, Government of India as member of the New Delhi Municipal Council, and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 835(E), dated the 17th April, 2012 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, for item Number (i) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted namely:—

4032 GI/2013

"(i) Shri Iqbal Singh Chahal Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs Government of India"

[F. No. 14011/48/2010-Delhi-II] IQBAL SINGH CHAHAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide S.O. 101(E)

dated the 18th January, 2011 and subsequently amended vide S.O. 1453(E) dated the 24th June, 2011, S.O. 1628(E) dated the 14th July, 2011, S.O. 835(E) dated the 17th April, 2012, S.O. 1737(E) dated the 3rd August, 2012, S.O. 2133(E) dated the 9th July, 2013, S.O. 2134(E) dated the 9th July, 2013 and S.O. 2308(E) dated the 25th July, 2013.